न्यायालय– विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट) चन्दौली।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–389/2020

सरकार प्रति विरेन्द्र यादव उर्फ बबलू

मुकदमा अपराध संख्या– 2195/2020

धाराः 307,323,504 भा.दं.सं

व 3(2)5 एस.सी./एसटी.एक्ट,

थाना : अलीनगर

जिला : चन्दौली ।

आ रो प

मैं, अम्बर रावत, विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट) चन्दौली आप अभियुक्त–

1. विरेन्द्र यादव उर्फ बबलू

को निम्न् आरोप से आरोपित करता हूँ :–

प्रथम–यह कि दिनांक 03.10.2020 को समय 21.30 बजे व स्थान नुक्कड के पास बहद ग्राम सरेसर अन्तर्गत थाना अलीनगर, जिला चन्दौली में आप अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति की वादी मुकदमा के लड़का जितेन्दर पासवान को जब वह अपने घर से अपने दोस्त धीरज को उसके घर छोड़ने जा रहा था तो पुरानी रंजिश को लेकर उसको जान से मारने की नियत से पिस्तौल से फायर किया, जिससे गोली वादी के लड़के को बाये हाथ में लगी, इसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 307 सपठित धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी.एक्ट के तहत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को मार पीटकर साधारण उपहति पहुचायी गयी इसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 323 के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आप अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को भद्दी–2 गालियॉं देकर लोक शांति भंग किया, इस प्रकार आप ने ऐसा अपराध किया है जो धारा 504 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि आपका विचारण उपरोक्त

आरोप पर इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।
दिनांक–13.01.2021

(अम्बर रावत)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी एक्ट
चन्दौली।

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया तथा विचारण की मॉग किया ।
दिनांक–13.01.2021

(अम्बर रावत)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी एक्ट
चन्दौली।